कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य को इसके विस्तृत वन संसाधनों के लिए जाना जाता है एवं देश के संचित खनिज के 40 *प्रतिशत* के साथ खनिज संपदा का प्रमुख उत्पादक है। पिछले दशक में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (14.68 *प्रतिशत*) की तुलना में निम्नतर दर (13.34 *प्रतिशत*) से बढ़ी। झारखण्ड में जनसंख्या का धनत्व 338 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गयी। इस प्रकार झारखण्ड के जनसंख्या का घनत्व सामान्य श्रेणी के राज्यों की तुलना में उच्चतर रही। इस अवधि में इसकी जनसंख्या वृद्धि सामान्य श्रेणी के राज्यों के 17.56 *प्रतिशत* की तुलना में 22.34 *प्रतिशत* रही। चालू दशक में झारखण्ड में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम रही। राज्य में निर्धनता रेखा (40.3 *प्रतिशत*) से नीचे की जनसंख्या सामान्य श्रेणी (27.5 *प्रतिशत*) के राज्यों की तुलना में भी अधिक रही। तथापि, झारखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों के आय वितरण की असामानता सामान्य श्रेणी के राज्यों से कम था।

यह प्रतिवेदन झारखण्ड सरकार के वर्ष 2010-11 की अवधि में राज्य के वित्त पर आधारित वित्तिय निष्पादनों के उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए एवं वित्तिय आँकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित सूचना को राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल को ससमय प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2007 एवं वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों में परिकल्पित लक्ष्य के विरूद्ध प्राप्त उपलब्धि से तुलनात्मक प्रयास किया गया है।

प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार के मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखाओं का विश्लेष्णात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में विभाजित है।

अध्याय - I वित्तीय लेखाओं की लेखापरीक्षा पर अधारित है और 31 मार्च 2011 को सरकार की राजकोषीय स्थिति को निर्धारित करता है। यह प्रतिबद्ध व्यय की अभिमुखता एवं ऋण लेने की प्रतिरूपों पर अन्तर्दृष्टि डालने के अलावा गैर-बजटीय माध्यमों द्वारा राज्य की क्रियान्वयन करने वाली अभिकरणों को सीधे अन्तरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा प्रस्तुत करता है।

अध्याय - II विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और यह विनियोजनों की अनुदानवार विवरणी देने के अलावा सेवा प्रदाता विभागों द्वारा प्रबंधित संसाधनों के विनिधान करने के तरीकों के बारे में बतलाता है।

अध्याय - III झारखण्ड सरकार की विभिन्न प्रतिवेदित आवश्यकताओं और वित्तीय नियमों के अनुपालन की सूची है। यह प्रतिवेदन निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्रोतों से समानुक्रमित की गई अतिरिक्त आँकड़ों का संलग्नक है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष और अनुशंसायें

अध्याय - I

वित्तीय अनुशासन : मध्यावधि राजकोषीय योजना (म.रा.यो.) में निर्धारित ₹ 3551 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध वित्तीय वर्ष राजकोषीय अधिक्य ₹ 836 करोड़ के साथ समाप्त हुआ।

पूंजीगत व्यय में कमीः पूँजीगत व्यय की कुल व्यय से प्रतिशत्ता 2009-10 में 15 *प्रतिशत* तक घटकर 2010-11 में 13 *प्रतिशत* हो गया। इसके अतिरिक्त पूँजीगत व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 2.46 *प्रतिशत* थी जो म.रा.यो. 2010-11में अनुमानित 5.80 *प्रतिशत* की तुलना में सार्थक रूप से कम थी।

विकास और सामाजिक सेवाओं पर व्यय पर पर्याप्त जोरः विकास पर राजस्व व्यय की वृद्धि दर 2009-10 में आठ *प्रतिशत* से 2010-11 में 29 *प्रतिशत* तक तेजी से बढ़ा जबकि विकास पर पूँजीगत व्यय की वृद्धि दर 2009-10 में ऋणात्मक 10 *प्रतिशत* से 2010-11 में ऋणात्मक दो प्रतिशत हुआ। विकास ऋण एवं अग्रिम 2007-08 में ₹ 586 करोड़ से 2010-11 में ₹ 296 करोड़ तक कम हो गये।

सरकारी निवेशों की समीक्षाः नया राज्य बनने से लेकर 31 मार्च 2011 तक सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों, सरकारी समितियों, बैंकों में ₹ 135.18 करोड़ निवेश किये गये थे। पिछले पाँच वर्षों में औसत प्राप्ति "शून्य" प्रतिवेदित थी, वर्ष 2010-11 में लाभांश ₹ 40 लाख (0.3 *प्रतिशत*) प्राप्त हुई, जबकि वर्ष 2006-11 के दौरान सरकार द्वारा उधार पर औसत 7.92 *प्रतिशत* की दर से ब्याज भुगतान किया गया ।

ऋण धारणीयताः प्राथमिक घाटा के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार 2006-11 के दौरान स.रा.घ.उ.में वृद्धि दर में व्यापक बदलाव के कारण ऋणात्मक ₹ 1966 करोड़ एवं धनात्मक ₹ 3087 करोड़ के मध्य व्यापक बदलाव अंकित किया गया। यह 2007-08 के दौरान धनात्मक ₹ 3087 करोड़ से 2008-09 में ऋणात्मक ₹ 1966 करोड़ तक घटा। 2009-10 के दौरान इसमें कुछ सुधार हुआ (ऋणात्मक ₹ 270 करोड़) हुआ जो पुनः 2010-11 के दौरान धनात्मक ₹ 980 करोड़ हो गया तथा राज्य को ऋण धारणीयता की स्थिति की ओर ले गया।

अध्याय - II

वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रणः- वर्ष 2010-11 के दौरान सकल बचतें ₹ 4429.71 करोड़ थी जो राजस्व खण्ड के अधीन 45 अनुदानों और तीन विनियोजनों में

₹ 2336.63 करोड़ की बचतों और पूँजीगत खण्ड के अधीन 23 अनुदानों में ₹ 2093.08 करोड़ की बचतों के साथ पूँजीगत खण्ड के अधीन दो अनुदान एवं एक विनियोजन में ₹ 318.40 करोड़ के आधिक्य के प्रतिफल का नतीजा था। इस आधिक्य को भारत के संविधान की धारा 205 के अधीन नियमन की आवश्यकता थी। निधियों के अपर्याप्त प्रावधानों और अनावश्यक/अधिक पुनर्विनियोजनों के भी मामले थे। वर्ष के अंत में व्यय का वेग समग्र वित्तीय प्रबंधन में एक सामान्य प्रवृत्ति देखी गई। कई मामलों में, प्रत्याशित बचतें या तो प्रत्यर्पित नहीं की गई या वर्ष के अंतिम दिन प्रत्यर्पित की गई जिससे दूसरे विकासात्मक उद्देश्यों में उपयोग हेतु गुंजाईश नहीं रहा।

बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्रः- 12 सितम्बर, 2011 तक ₹ 11942 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक विपत्र के विरूद्ध कुल ₹ 6239/-करोड़ के संक्षिप्त प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत किये जाने थे।

व्यय का असमाशोधनः- वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों के नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा ₹ 16888.30 करोड़ के व्यय का मिलान प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह.), झारखण्ड के आँकड़ों से नहीं किया गया था।

वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरणः- राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों का अनुपालन अपर्याप्त था जो इस बात से स्पष्ट था कि 2009-10 तक सरकारी उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा प्राप्त ऋणों एवं अनुदानों के विरूद्ध मात्र ₹ 5169.67 करोड़ के 4042 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (ले.एवं ह.), झारखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये गये थे। कुल 68 स्वायत्त निकायों और विभागीय उपक्रमों द्वारा वार्षिक लेखे विलम्ब से प्रस्तुत किये गये थे। व्यक्तिगत खाता जिसे वित्तीय वर्ष के अंत में बंद कर दिया जाना चाहिए, उसे बंद नहीं किया गया, जिसके कारण वर्ष के अंत में ₹ 68.56 करोड़ इस खाते में शेष रह गया। भारत की संचित निधि से व्यय की गई ₹ 3121.71 करोड़ के अनुदान-सहायता में से ₹ 676.50 करोड़ सरकारी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा आहरित किये गये थे, जबकि इसे अनुदानित निकायों को सीधे भुगतान किया जाना था। इस तरह के मामले को रोकने के लिए भविष्य में सभी संस्थाओं में आन्तरिक नियंत्रण मजबूत किया जाना चाहिए।